

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: म.आ.शि. /2017/

दिनांक:

आदेश

प्रमुख शासन सचिव एवं महिला बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी. /11/65765 दिनांक 30.12.2013 के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर राजस्थान, में लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारियों की आंतरिक शिकायत समिति का गठन एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| 1 डॉ. अलका शर्मा, संयुक्त निदेशक (बाढ़), मुख्यालय। | अध्यक्ष |
| 2 डॉ. घनश्याम बैरवा, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय। | सदस्य |
| 3 डॉ. निर्मला शर्मा, उप निदेशक (मलेरिया), मुख्यालय। | सदस्य |
| 4 डॉ. आशुतोष गर्ग, उप निदेशक (प्लान), मुख्यालय। | सदस्य |
| 5 डॉ. रेणुका पामेचा, एस-5, बजाज नगर, जयपुर। | सदस्य |

उक्त आंतरिक शिकायत समिति विभाग में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की त्वरित जांच कर जांच प्रतिवेदन निश्चित समयवाधि में प्रस्तुत करेगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: म.आ.शि. /2017/24

दिनांक: 19-06-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय।
4. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
5. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल।
6. निदेशक (आरसीएच/एड्स)/वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/ग्रा.स्वा./पक/चिप्र), मुख्यालय।
8. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर।
9. डॉ. अलका शर्मा, संयुक्त निदेशक (बाढ़), मुख्यालय।
10. सभी सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति।
11. डॉ. रेणुका पामेचा, एस-5, बजाज नगर, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।